श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2016 को सम्पन्न राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

1. **भू–लगान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भू–लगान वसूली की प्रगति अंचल सदर छपरा, एकमा, इसुआपुर, मशरक एवं दरियापुर को छोड़कर किसी भी अंचल का संतोषजनक नहीं है। अंचल दिघवारा, मकेर, लहलादपुर द्वारा कम राजस्व वसूली के संबंध में समाहर्त्ता द्वारा पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, दिघवारा द्वारा बताया गया कि अधिकतर मौजा की भूमि असर्वेक्षित होने के कारण वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं। समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा लगान एवं शेष को 5 (पांच) के गुणक में करने का निदेश प्राप्त है, इस प्रकार लगान से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। इस पर सभी अंचल अधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत वसूली करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ सभी अंचल अधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16 का रिर्टन–। कोषागार पदाधिकारी से सत्यापन कराते हुए अविलम्ब जिला राजस्व शाखा, छपरा में शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इसे समेकित कर सरकार को भेजा जा सके।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

2. **सैरात** :– समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 218 सैरातों में से 142 सैरातों की बंदोबस्ती हुई है, जिसके विरूद्ध रू0–47,28,171.00 का राजस्व संग्रहण हुआ है। सबसे अधिक मांझी में 09, बनियापुर मे 11, एकमा में 8 एवं सोनपुर में 7 सैरातों की बंदोबस्ती लंबित है। इस लंबित सैरातों के संबंध में पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ सैरातों का सुरक्षित जमा राशि अधिक होने के कारण बंदोबस्ती नही हो पायी है, जिसकी विभागीय वसूली हो रही है। समाहर्त्ता द्वारा लंबित सैरातों की बंदोबस्ती करने तथा जिन सैरातों की विभागीय वसूली हो रही है, उक्त सैरातों की वसूली सुरक्षित जमा राशि के अनुसार शत प्रतिशत करने हेतु अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

3. **अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबंधित कुल 22 वाद लम्बित है, जिसमें सबसे अधिक अमनौर एवं परसा में 5–5, रिविलगंज, मांझी, एकमा, लहलादपुर, दिघवारा में 2–2, मशरक में 3 एवं नगरा तथा बनियापुर में 1–1 वाद लंबित पाये गये हैं। समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारियों से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि लंबित सभी वादों के निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समाहर्त्ता द्वारा इस माह के अंत तक सभी लंबित वादों को निष्पादन करने का निदेश अंचल अधिकारियों को दिया गया। साथ ही साथ समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण से संबधित वादों के निष्पादन के संबंध में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के दृढ़तापूर्ण अनुपालन हेतु राजस्व विभागीय पत्रांक 831(6), दिनांक 02.07.13 माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 05.07.13 एवं गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना 4895, दिनांक 04.06.13 के प्रति संलग्न करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह विहित प्रपत्र में भेजने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन ससमय नहीं भेजने पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

समाहर्त्ता द्वारा विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के अंत तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

4. **चालू खतियान** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 1805 मौजा में से मात्र 835 ग्रामों का कार्य पूर्ण हुआ है और 210 ग्रामों में कार्य चल रहा हैं। इस प्रकार कुल 1045 ग्रामों का ही चालू खतियान का कार्य हुआ है। इस कार्यों की प्रगति पर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी को कार्य अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को नियमित अंचल के कार्यों का समीक्षा करते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी वरीय पदाधिकारी, सारण जिला।

5. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय में कुल 73 दायर वाद के विरूद्ध 65 वाद निष्पादित किये गये है, जिसके अनुसार निष्पादन का 89.04 प्रतिशत है। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा में 06 एवं सदर छपरा में 2 लंबित मामले पाये गये। उप समहार्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा एवं सदर छपरा को शीघ्र लंबित मामले के निष्पादन करने का समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया।

अनुपालन– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर छपरा/मढ़ौरा।

6. **भू–हस्तांतरण** :–विभिन्न प्रयोजनों हेतु अन्तर्विभागीय भू–हस्तांतरण से संबंधित समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी केन्द्र, नवसृजित प्रा0वि0, महादलित टोलों में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड की निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुरूप भू–हस्तांतरण हेतु भूमि का चयन नही हुआ है। समाहर्त्ता द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु चिन्हित भूमि का प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब भेजा जाय ताकि विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यस्तरीय संबधित विभाग से अधियाचना प्राप्त होते ही संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई किया जा सकें। साथ ही साथ यह भी निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में आहर, नहर, पईन, गड़हा किस्म की भूमि का भू–हस्तांतरण का प्रस्ताव नही दिया जाय।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

7. **महादलित** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में कुल 616 वासहीन महादलित परिवार पाये गये थे। जिसमें वास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी हैं। समाहर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी परिवारों को भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

8. **अभियान बसेरा** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभियान बसेरा के तहत अंचलवार निम्नांकित श्रेणी के परिवार वासहीन पाये गये हैं। जिसको वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित की गई हैं :–

क्र0	अंचल का नाम	श्रेणीवार सर्वेक्षण						गत माह तक कुल भूमि का श्रोत				वास हेतु भूमि उपलब्ध कराये गए परिवारो की सं0				कुल भूमि उपलब्ध कराये गये वासहीन परिवारो की सं0	लंबित परिवारा की सं0	अ
		महादलित	SC	ST	BC-I	BC-II	कुल सर्वेक्षित वासहीन परिवारो की सं0	गैरमजरूआ मालिक	गैरमजरूआ आम	BPPHT	क्रय	गैरमजरूआ मालिक	गैर मजरूआ आम	BPPHT	क्रय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	सदर,छपरा	84					84	14	0	70	0	14				14	70	
2	रिविलगंज	84			16		100	0	0	100	0			100		100	0	
3	माँझी	16					16	16	0	0	0	10				10	6	
4	एकमा	8					8	8	0	0	0	8				8	0	
5	जलालपुर	5					5	5	0	0	0	5				5	0	
6	नगरा		3				3	0	0	3	0			3		3	0	
7	बनियापुर	21	6		8	4	39	14	0	25	0	11		9		20	19	
8	लहलादपुर	8		6	2		16	4	4	8	0	2		8		10	6	
9	गड़खा		11			7	18	18	0	0	0	18				18	0	
10	परसा	5	3		10		18	9	9	0	0	9				9	9	
11	मकेर	10			2		12	3	0	9	0	0		9		9	3	
12	मढ़ौरा	65					65	0	0	0	65					0	65	
13	अमनौर	14	2	0	4		20	3	0	17	0			17		17	3	
14	तरैया	27			4		31	6	0	25	0			25		25	6	
15	इसुआपुर	7					7	7	0	0	0	7				7	0	
16	मशरक	40			9		49	6	0	36	7			36		36	13	
17	पानापुर	6	3	0	1		10	6	0	4	0	4		4		8	2	
18	दिघवारा	0			12	4	16	0	16	0	0		16			16	0	
19	दरियापुर	47			5		52	28	7	17	0			17		17	35	
20	सोनपुर	23	2		13		38	19	0	19	0			19		19	19	
योग		470	30	6	86	15	607	166	36	333	72	88	16	247	0	351	256	

समाहर्त्ता द्वारा सभी वासहीन परिवार को प्राथमिकता के आधार पर सितम्बर 2016 के अंत तक भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। साथ ही पूर्व में वासहीन परिवारों को उपलब्ध कराये गये भूमि का दखल कब्जा का सत्यापन करने का भी निदेश दिया गया तथा मार्च के अंत में एक सर्टिफिकेट देना होगा की उनके अंचल में एक भी वासहीन परिवार नही है।

अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला।

9. **ऑपरेशन भूमि दखल दहानी** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 12826 परिवारों से संबंधित प्रपत्र–I में अपलोड किया गया है, जिसमें 465 बेदखल परिवार पाये गये है। बेदखल परिवारो में से 457 परिवारों को दखल दहानी से संबंधित प्रपत्र अपलोड किया गया है। अंचल पानापुर में 4, मशरक में 2 एवं मढ़ौरा मे 2 लंबित पायो गए। इन अंचल अधिकारी को शीघ्र बेदखल परिवारों को दखल कब्जा दिलाने का निदेश दिया गया। ऑपरेशन दखल दहानी का समयावधि दिनांक 31.12.16 तक बढ़ाया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को कैम्प कोर्ट लगाकर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन-सभी अंचल अधिकारी, सारण जिलाएवं सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी।

10. **शहरी लोक भूमि अतिक्रमण** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 86 मौजा में से मात्र 18 मौजा का ही सर्वेक्षण हो पाया हैं, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अविलम्ब सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढ़ौरा, सोनपुर एवं दिघवारा को निदेश दिया गया।

अनुपालन-अंचल अधिकारी, सदर छपरा, रिविलगंज, एकमा, परसा, दरियापुर, मढ़ौरा, सोनपुर एवं दिघवारा।

11. **लोक सेवा का अधिकार** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दाखिल खारिज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र से संबंधित मामलों का निष्पादन ससमय किया गया है, जिसपर समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि RTPS के तहत एक भी मामले लंबित नही रहना चाहिए।

12. *समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक जल निकायों (Water Bodies) यथा पोखर, झील, आहर, पईन, नहर, नाला का जल निरसरण संरचनाओं एवं नदी आदि के अतिक्रमण मुक्त करने एवं अभियान जल निकाय संरक्षण से संबंधित विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में मांगे गये प्रतिवेदन को ससमय उपलब्ध नही कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।*

समाहर्त्ता द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

13. **न्यायालय** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CWJC से संबंधित 10 मामला लंबित है। 2 मामला सोनपुर एवं 01–01 मामला पानापुर, मांझी अंचल में यथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर में 2 और सदर छपरा में 1 मामला लंबित है।

समाहर्त्ता द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को 15 दिनों के अन्दर माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– अंचल अधिकारी, सोनपुर, पानापुर, मांझी, उ0स0भू0सु0, सोनपुर एवं सदर छपरा।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ..../ दिनांक ....

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 875 / दिनांक 19/9/16

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।